प्रेषक–

मनमोहन सिंह,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
नगीना, बिजनौर।

सेवा में–

महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

द्वारा–

माननीय जनपद न्यायाधीश,
बिजनौर।

विषय–<u>चल व अचल संपत्ति का वार्षिक विवरण विलम्ब से प्रेषित किये जाने के संबंध में स्पष्टीकरण–</u>

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि अधोहस्ताक्षरी के द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–2020 के संबंध में अपना चल–अचल संपत्ति का विवरण दिनांक 09.12.2021 को स्पष्टीकरण सहित प्रेषित किया गया था, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा आपत्ति के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को वर्ष 2018–2020 के स्थान पर वित्तीय वर्ष 2017–2019 (19.02.2018 से 31.03.2018 व 01.04.2018 से 31.05.2019) और इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2019–2021 तथा 2021–2023 के संबंध में चल व अचल संपत्ति का विवरण प्रेषित किये जाने हेतु आदेशित किया गया है, जिसके अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी द्वारा पुनः अपना संपत्ति विवरण प्रेषित किया जा रहा है।

तकनीकी औपचारिकताओं के संबंध में अनभिज्ञता, कोविड–19 तथा अधोहस्ताक्षरी की माताजी का स्वर्गवास होने से उत्पन्न अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण संपत्ति विवरण प्रेषित किये जाने में विलम्ब कारित हुआ है, जिसके लिये अधोहस्ताक्षरी क्षमा प्रार्थी है। अधोहस्ताक्षरी भविष्य में नियमित रूप से समय से संपत्ति विवरण प्रेषित किये जाने का प्रयास करेगा।

स्पष्टीकरण सेवा में सादर प्रेषित है।

भवदीय
Man Mohan Singh

(मनमोहन सिंह)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
नगीना, बिजनौर।